

राजस्थान सरकार
समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जलपथ गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक एफ.11(2)मो./नाबार्ड/आईसीडीएस/2015-16/ 136 265-297 जयपुर दिनांक: 25/7/18
उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

विषय:- नाबार्ड स्कीम के अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण हेतु
भूमि/पट्टे/एन.ओ.सी की सूचना भिजवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि नाबार्ड स्कीम के अंतर्गत आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। आपके जिले में आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण हेतु अन्य विभागीय स्कीमों में स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों के अतिरिक्त उपलब्ध भूमि/पट्टे/एन.ओ.सी. की सूचना निर्धारित प्रपत्र में तीन दिवस में विभागीय ई-मेल jdm.wcd@rajasthan.gov.in पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

प्रपत्र

जिला:..... परियोजना

क्र.सं.	AWC का नाम	भूमि का पट्टा / NOC जारी करने वाली एजेंसी का नाम	शहरी निकाय / ग्रामीण निकाय का नाम	विशेष विवरण

Paul
निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ.11(2)मो./नाबार्ड/आईसीडीएस/2015-16/ 136298-332 जयपुर दिनांक: 25/7/18
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. मुख्यकार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त।
3. एसीपी कम्प्यूटर रोल को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

Paul
निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर